

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक: फरवरी 29, 2012

सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.02.2012 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल की चार मारुती इस्टीम कारों संख्या-यू.ए.04ई/2309, यू.ए.04बी/3040, यू.ए.04बी/2309 एवं यू.ए.04बी/4444 की निलामी को अग्रीम आदेशों तक अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है ।

ह0/-

महानिबन्धक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

नैनीताल